

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(PWD)2018/एफसीए/प्रमुवसं/ 1870

दिनांक 10/7/24

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय:- Construction Laxmipura-Dora-Dabi-Ranaji ka Guda NH-12. proposal
no. FP/RJ/ROAD/29812/2017

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 3747 दिनांक 9.7.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आलौच्य प्रकरण में संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित अनुपालना का परीक्षण किये जाने के उपरांत भी निम्नानुसार सूचना दिया जाना अपेक्षित है:-

1. यूजर ऐजेन्सी द्वारा गैर वन भूमि दो पेचस में उपलब्ध करायी गयी है। विभागीय वेबपोर्टल पर उपलब्ध डिजीटल सीमाओं में एक पेच (5.32 है0) पूर्णतया एवं दूसरो पेच आंशिक रूप से वन सीमा के अंतर्गत आता है। उप वन संरक्षक इसका परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।
2. उप वन संरक्षक, बूंदी द्वारा प्रस्तावित गैर वन भूमि की उपयुक्तता प्रमाण पत्र में गैर वन भूमि वृक्षारोपण योग्य नहीं पायी गयी है अर्थात् यूजर ऐजेन्सी को दूसरी भूमि उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाना प्रस्तावित है। क्षेत्रीय वन अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित गैर वन भूमि पर 100 पौधे ही लगाया जाना संभव है।
3. उप वन संरक्षक, बूंदी द्वारा एक ही क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना प्रस्तुत की गयी है जबकि गैर वन भूमि दो पेचज में है। इसके अलावा दिनांक 8.7.2024 से राज्य सरकार द्वारा क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की दरों में संशोधन कर दिया गया है। तदनुसार क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना दिया जाना प्रस्तावित है।

अतः अनुरोध है कि उक्त बिन्दुओं की सूचना ऑनलाईन प्रस्ताव में पूर्ती कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु भिजवाया जा सके। उक्त आक्षेप संक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(PWD)2018/एफसीए/प्रमुवसं/ 1871-72

दिनांक 10/07/24

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, बूंदी।
2. परियोजना निदेशक (पी.पी.पी.), लोक निर्माण विभाग, कोटा, राजस्थान।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर